



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 09 जून 2022

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व एक लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

मॉनिटरिंग सेल बुलन्दशहर द्वारा थाना अहमदगढ पर दुष्कर्म के सम्बंध में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-351/2021 धारा-452,376(3),307 भादवि तथा धारा-3/4(2) पोक्सो अधिनियम में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी जिसके परिणामस्वरूप दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त छत्तरपाल पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर को आज दिनांक 09-06-2022 को मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो बुलन्दशहर द्वारा आजीवन कारावास तथा 1,00,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री भरत शर्मा व महेश राघव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर